संख्या–1668/38–4–10–42विविध/2010

प्रेषक,

एन0 एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊःदिनांक–9 सितम्बर, 2011

विषयः डा0 अम्बेडकर ग्रामों के सतृप्तीकरण के संबंध में ग्राम्य विकास विभाग से निर्गत शासनादेश संख्या–1761/38–4–10–42 विविध/2010, दिनांक–07 सितम्बर, 2010 का निरस्तीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या–1761/38–4–10–42 विविध/,दिनांक–07–9 2010 के द्वारा यह निदेश प्रख्यापित किया गया था कि डा0 अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण करने के संबंध में "महामाया आवास योजना को सम्मिलित करने की आवश्यकता नही रह गई है"। उक्त के पश्चात डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग के शासनादेश संख्या–150/66–1–11–43 डा0 अ0 ग्रा0 वि0 वि0/2010, दिनांक–14–6–2011 के द्वारा महा माया आवास एवं महामाया आवास योजनासे डा0 अम्बेडकर ग्रामों को आच्छादित किये जाने के संबंध में यह निदेश प्रख्यापित किया गया है कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत आवासहीन को आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पात्र आवासहीन परिवारों को इन्दिरा आवास के साथ–साथ महामया आवास योजना से अनुसूचित जाति/जनजाति के उसी आवास बिहीन परिवारों को अवरोही क्रम मं आवास दिया जायेगा,जो मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना की सूची में सूचीबद्ध है।

2– उपर्युक्त दोनो शासनादेशो द्वारा प्रख्यापित निदेशो में उपर्युतानुसार विरोधाभाष होने के कारण जनपदों मे उद्भूत हो रही संशय की स्थिति को समाप्त करने हेतु श्री राज्यपाल प्रकरण में सम्यक विचारोंपरात ग्राम्य विकास अनुभाग–4 से निर्गत शासनादेश संख्या–1761/38–4–10–42 विविध/2010 ,दिनांक–07–9–2010 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करते है।

भवदीय,

9.9.2011

(एन0 एस0 रवि)
प्रमुख सचिव

संख्या—1668 / 38—4—11तददिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव,डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
2— समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
3— अपर आयुक्त(प्रशासन),ग्राम्य विकासउ0 प्र0 को इस निदेश के प्रेषित कि वे इस शासनादेश को अपने स्तर से समस्त संबंधित अधिकारियो को परिचालित करा कर संसूचित करने का कष्ट करे।
4— समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
5— समस्त जिला विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
6— समस्त परियोजना निदेशक,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,उ0 प्र0।
7— ग्राम्य विकास अनुभाग—1,2,3,5,6,7 एव 9
8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी